न्यायालय जिला कलक्टर, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– डॉ. महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 12/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/27

अपीलान्ट		**रेस्पोडेन्ट**
बचपन पत्नी श्री केशाराम जाति जाट, निवासी जाबदीनगर, तहसील नावां, जिला डीडवाना–कुचामन।	**बनाम**	1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), उत्तर–पश्चिम रेल्वे, जयपुर। 2. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी नावां।

आवेदन अन्तर्गत धारा 20 (एफ)(6) रेल्वे अधिनियम विरूद्ध प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 20.01.2022 हेतु।

–:निर्णय:–

दिनांक : 15.12.2025

अपीलांट की ओर से पेश अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि:– केन्द्रीय सरकार ने रेल्वे अधिनियम 1989 के तहत राजस्थान राज्य के पुराने नागौर जिले तथा वर्तमान डीडवाना–कुचामन जिले में ''उत्तर पशिचम रेल्वे जोधपुर मण्डल के गुढ़ा एवं ठठाना मिठड़ी स्टेशनों के माध्य चल स्टॉक एवं आधारभूत कम्पोनेट टेस्टिंग व ट्रायल के लिये डेडिकेटड रेल लाईन के निर्माण'' की विशेष रेल परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहण कार्य हेतु रेल्वे अधनियम 1989 की धारा 2 के खण्ड (7 क) के द्वारा उपखण्ड अधिकारी नावां को अधिसूचना दिनांक 31.12.2019 के सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) के रूप में प्राधिकृत किया गया है। रेल्वे अधिनियम 1989 की धारा 20 क के अन्तर्गत जोधपुर मण्डल के गुढ़ा एवं ठठाना मीठड़ी, स्टेशनों के मध्य चल स्टाक एवं आधारभूत कम्पोनेट टेस्टिंग व ट्रायल के लिये डेडिकेटड रेल लाईन के निर्माण की विशेष रेल परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 09.06.2020 को अधिसूचना जारी की गई। जिसे स्थानीय दैनिक समाचार पत्र, दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 13.06.2020 को प्रकाशन करवाकर हितकारक व हर आम खास को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की गई। जिस पर उक्त निर्धारित समयावधि में कुल 33 आपत्तियां प्रस्तुत हुई। उक्त आपत्तियों में समुचित सुनवाई नहीं करके समस्त आपत्तियों को खारिज कर दिया। प्रार्थीगण की नमक उत्पादक ईकाई की व्यवसायिक भूमि है जो वाके जाबदीनगर में स्थित है। उक्त भूमि से भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी की मौजा जाब्दीनगर तहसील नावां में से खसरा नम्बर 676 रकबा 2.04 हैक्टेयर में से 0.2734 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की। प्रार्थीगण की उक्त औद्योगिक ईकाई के मुआवजे की राशि का विधिनुसार निर्धारण नहीं किया।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि धारा 20(च)(6)(7) संशोधित रेल्वे अधिनियम 1989 व धारा 26 मध्यस्था एवं सु[illegible]नियम 1996 के अधिकारों का उपयोग करते हुये प्रार्थीगण की अवाप्त की गई भू[illegible] इस अवाप्ति के कारण उनके व्यवसाय को पहुची क्षति व उन्हें स्थान/[illegible] व्यवसाय क[illegible] होनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:01:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुये मुआवजा की राशि तय करके प्रार्थी को मय 18 प्रतिशत ब्याज सहित भूमि अवाप्ति की दिनांक से दिलवाये जावें व अन्य अनुतोष लाभार्थी प्रार्थी को दिलवाये जावें।

प्रकरण में कार्यालय हाजा के पत्रांक कोर्ट/2025/285 दिनांक 22.07.2025 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नावां से रिपोर्ट ली गई। उपखण्ड अधिकारी, नावां के पत्रांक भूमि अवाप्ति/2025/328 दिंनाक 14.10.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार मौके पर किसी भी प्रकार की कोई औद्योगिक ईकाई स्थापित नहीं है ना ही भूमि की किस्म औद्योगिक है। भूमि का मुआवजा सभी दस्तावेजों एवं उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। मौके पर क्यार/खारड़ा एवं किस्म लवण क्षेत्र होने से लवण क्षेत्र की डीएलसी दर से मुआवजा दिया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवॉर्ड की गणना नियमानुसार संयुक्त सर्वे करवाकर की गयी है जो कि न्यायोचित है। खसरा नम्बर 676 रकबा 2.04 हैक्टेयर में से 0.2734 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई है जिसकी अवार्ड राशि रूपये 1305872 जारी की गई। तत्पश्चात् जाबदीनगर के इस खसरे की अन्तर्गत छुटी हुई संरचनाओं का संशोधित अवार्ड संयुक्त सर्वे कर जारी किया गया जिसमें 01 बोरिंग जिसका व्यास 250 एम.एम. संरचना पाई गई है एवं इनकी संशोधित अवार्ड राशि 1118613 रूपये जारी की गई। संयुक्त सर्वे टीम द्वारा उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई संरचना मौके पर नहीं पाई गई तथा प्रार्थी द्वारा अन्य मांग करना निराधार है। प्रार्थी को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका एवं मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है जो की न्यायोचित एवं न्यायसंगत है। प्रार्थी द्वारा वर्णित समस्त तथ्य निराधार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपयुक्त वर्णित समस्त तथ्यों के अनुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा नियमानुसार ही मुआवजा निर्धारण कर अवॉर्ड जारी किये जाने के कारण प्रार्थी को अवॉर्ड एवं संशोधित अवॉर्ड अनुसार समय पर मुआवजा भुगतान, भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया अपनाई गई हैं।

बहस पत्रावली सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी नावां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा नियमानुसार भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया अपनाई जाकर ही मुआवजा निर्धारण कर अवार्ड जारी किये गये। प्रार्थी को अवार्ड एवं संशोधित अवार्ड अनुसार समय पर मुआवजा भुगतान किया गया था। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवॉर्ड की गणना नियमानुसार संयुक्त सर्वे करवाकर की गयी है जो कि न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **15.12.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

15.12.2025

(डॉ. महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:01:46 IST
Reason: SelfAttested